फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - सोनू कुमार बनाम शिवकुमार व अन्य

किस्म मुकदमा :- 212 RTA

प्रकरण सं. :- 110/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21/4/26	अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.16 में संशोधित स्थगन जारी किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम हो [illegible] बुलाया जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.04.21 18:39:38 IST Reason: SelfAttested BL उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2016/00065

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रका मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 110/2016 ~~**RCMS 216/00065**~~ **दायर दिनांकः– 25–05–2016**

GCMS: 2016/00065

सोनूकुमार पुत्र श्री लिछमणराम जाति नायक साकिन चक 3 एम सी हाल सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ----- प्रार्थी

बनाम

1–लिछमणराम पुत्र श्री देवाराम जाति नायक साकिन चक 3 एम सी हाल सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2–शकुन्तला देवी पत्नी श्री कृश्ण लाल जाति मेघवाल साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

3–कंचन पुत्री श्री लिछमणराम पत्नी श्री मनीश जाति नायक साकिन डबली राठान तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ राज0

4–उप पंजीयक सूरतगढ

5–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

6. केसराराम पुत्र भूपराम जाति नायक सा. शाहपीनी तह. संगरिया ----- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

उपस्थित :–

1– श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी ।

2–श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक अप्रार्थी न0 2

3– श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार अभिभाषक अप्रार्थी न0 1

4– श्री धनवीर सिंह हुन्दल अभिभाषक अप्रार्थी न0 3

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 21.04.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण प्रार्थी , अप्रार्थी न0 1 ता 3 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 3 के दादा एवं अप्रार्थी न0 1 के पिता देवाराम पुत्र श्री पूर्णराम के नाम भूमिहीन के तहत वाके चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ के प0न0 73/31 मु0 न0 10 के किला न0 1 ता 20, 21/2 ता 25/2 में 6.199 है0 अ0क0 आंवटन किया गया । प्रार्थी के पिता अप्रार्थी न0 1 एव. उनके भाईयो एवं बहनो के नाम उक्त जैरवाद पैतृक सम्पति देवाराम पुत्र श्री पूर्णराम के देहान्त होने के पश्चात विरास्तन दर्ज हुआ । जैरवादी भूमि में प्रतिवादी न0 1 का 1/5 हक/ हिस्सा विरास्तन दर्ज हुआ। अप्रार्थी न0 1 शराबी नशेड़ी तथा बदयन्त किस्म का व्यक्ति है तथा आये दिन शराब के लिए प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता के साथ मारपीट करता रहता है । जिसके लिए कई बार पुलिस द्वारा पाबन्द किया जा चुका है लेकिन अपनी शराब नशे की लत के कारण कोई काम धाम नही करता है प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता द्वारा ही परिवार का पालन पोषण कर जीवन निर्वाह किया जा रहा है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी न0 1 को अपने पिता की सम्पति वाके चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ में कुल 6.199 है0 में से 1/5 हिस्सा यानि 1. 240 है0 अ0क0 रकबा दर्ज होने के कारण अप्रार्थी न0 1 के मन में बदनियती आने से अप्रार्थी न0 1 अपना समस्त रकबा बेचान करने पर उतारू था वह अपने नशे की पूर्ति एवं अनावश्यक आवश्यकताओ के लिए आये दिन प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता को उक्त जैरवाद पैतृक सम्पति बेचने की धमकी देता था और अप्रार्थी न0 1 ने अपने समस्त 1/5 हक/ हिस्सा [illegible] अप्रार्थी न0 2 के पक्ष में कर दिया गया जो प्रार्थी के हितो पर निष्प्रभावी है तथा उक्त [illegible] पैतृक सम्पति होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक [illegible] बराबर हक हिस्सा ले सकता है इसलिए प्रार्थी घोषणात्मक प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत कर अपने हको की [illegible] करवाने का कानूनन हकदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 3 अप्रार्थी न0 1 के पुत्र – पुत्री है उक्त [illegible]रवाद रकबा में अप्रार्थी न0 1 का 1/5 हक/ हिस्सा में से प्रार्थी का 1/3 हक/हिस्सा पाने का कूानन मुश्तहक है तथा प्रार्थी अपना हक/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:38 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने योग्य है । प्रार्थी उक्त जैरवाद रकबा वाके चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ कुल 6.199 है0 में 1/5 हिस्सा में से 1/3 हक/ हिस्सा पर कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता वाके चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ के खेत में सुड़ निकाल रहे थे तभी वहां अप्रार्थी न0 2 अन्य व्यक्तियों के साथ आये और प्रार्थी को कहा कि उक्त रकबा मेरा खरीदा हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज हो गया है अप्रार्थी न0 2 द्वारा उक्त जैरवाद रकबा से प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता को खाली करने की धमकी देने लगी उसी दिन दिनांक 06-05-2016 को प्रार्थी पटवारी से उक्त जैरवाद रकबा की जमाबन्दी लेने गया तो पता चला कि प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त रकबा बेचान कर दिया और अप्रार्थी न0 2 के नाम दर्ज हो गया । इस पर प्रार्थी समाज के मौजिज व्यक्तियों की पंचायत बुलाई जिसमें अप्रार्थी न0 2 को बुलाया गया तथा पंचायत में अप्रार्थी न0 2 को समझाया की उक्त जैरवाद पैतृक सम्पति में प्रार्थी का हक/ हिस्सा दे दो इस पर अप्रार्थी न0 1 ने सरेआम पंचायत मे धमकी दी कि उक्त जैरवाद रकबा मेरे नाम दर्ज हो चुका है रहा सवाल कब्जे लेने का तो वह उक्त रकबा अन्य को बेचान करवाकर जबरदस्ती तुम्हारे कब्जा काश्त में बेदखल करवा दुगा । अप्रार्थी न0 2 अपने नाम से दर्ज जैरवाद रकबा को रहन बैय आदि हस्तान्तरण करने पर उतारू है दौराने वाद ही अगर जैरवाद भुमि को रहन बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थी को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा वाद-पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा अप्रार्थी न0 2 प्रार्थी के कब्जा काश्त में भी दखलन्दाजी करने का प्रयास कर सकते है । यदि अप्रार्थी न0 2 के द्वारा के द्वारा ऐसा कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र ही बेसूद हो जायेगा । इस कारण प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी न0 2 इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 ता 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित तथा दौराने कार्यवाही अप्रार्थी न0 2 के द्वारा उक्त जैरवाद रकबा का बेचान अप्रार्थी नं0 6 को किये जाने के कारण पक्षकार वाद बनाया गया। अप्रार्थी नं0 6 रजिस्टर्ड समन तलबी सुचना हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई । अप्रार्थी न0 1 व 2 ने अपना जबाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया ।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाके प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 3 के दादा एवं अप्रार्थी न0 1 के पिता देवाराम पुत्र श्री पूर्णराम के नाम भूमिहीन के तहत वाके चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ के प0न0 73/31 मु0 न0 10 के किला न0 1 ता 20, 21/2 ता 25/2 में 6.199 है0 अ0क0 आंवटन किया गया । प्रार्थी के पिता अप्रार्थी न0 1 एव उनके भाईयो एवं बहनो के नाम उक्त जैरवाद पैतृक सम्पतिं देवाराम पुत्र श्री पूर्णराम के देहान्त होने के पश्चात विरास्तन दर्ज हुआ । जैरवादी भूमि में प्रतिवादी न0 1 का 1/5 हक/ हिस्सा विरास्तन दर्ज हुआ। अप्रार्थी न0 1 अपनी शराब नशे की लत के कारण कोई काम धाम नही करता है प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता द्वारा ही परिवार का पालन पोषण कर जीवन निर्वाह किया जा रहा है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी न0 1 पैतिृक सम्पति वाके चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ में कुल 6.199 है0 में से 1/5 हिस्सा यानि 1.240 है0 अ0क0 रकबा दर्ज होने के कारण अप्रार्थी न0 1 के मन में बदनियती आने के कारण उक्त रकबा का बेचान अप्रार्थी न0 2 के पक्ष में कर दिया गया जो प्रार्थी के हितो पर निष्प्रभावी है तथा उक्त जैरवाद रकबा पैतृक सम्पति होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति में पुत्र पिता के बराबर हक हिस्सा ले सकता है इसलिए प्रार्थी घोषणात्मक प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत कर अपने हको की घोषणा करवाने का कानूनन हकदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 3 अप्रार्थी न0 1 के पुत्र पुत्री है उक्त जैरवाद रकबा में अप्रार्थी न0 1 का 1/5 हक/ हिस्सा में से प्रार्थी का 1/3 हक/हिस्सा पाने का का[illegible] है तथा प्रार्थी अपना हक/ हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने योग्य है । [illegible] के द्वारा दौराने वाद उक्त जैरवाद रकबा में से 4.959 है0 रकबा अप्रार्थी न0 6 को बेचान कि[illegible] चुका है । जो प्रार्थी के हितो पर निष्प्रभावी है तथा दौराने स्थगन आदेश [illegible] किया गया बेचान शुरू से ही शुन्य है । अप्रार्थी न0 2 व 6 अपने नाम से दर्ज जैरवाद रकबा को रहन बैय आदि हस्तान्तरण करने पर उतारू है दौराने वाद ही अगर जैरवाद भुमि को रहन बैय आदि द्वारा हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

--3-- (प्र0 सं0 110/2016 अनवान सोनू कुमार बनाम लिछमणराम वगैरह)

को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा वाद-पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा अप्रार्थी न0 2 प्रार्थी के कब्जा काश्त में भी दखलन्दाजी करने का प्रयास कर सकते है । यदि अप्रार्थी न0 2 के द्वारा के द्वारा ऐसा कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र ही बेसूद हो जायेगा। इस कारण प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी न0 2 व 6 इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी न0 2 के के अभिभाषक द्वारा जबाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुय निवेदन किया कि उक्त जेरवाद रकबा देवाराम को आवटन होकर उनके स्वर्गवास के वाद विरासतन इन्तकाल उनके जायज वारिसो के नाम दर्ज होना रिकोर्डेड है । परन्तू प्रार्थी ने यह तथ्य मातहत न्यायालय से छुपाया है कि देवाराम के पांचो वारिसों ने अपने नाम की 6.199 है0 अनकमाण्ड भूमि मुझ अप्रार्थीया न0 2 को दिनांक 08-07-2015 को बैयनांमा लिखवा कर दिनांक 09-07-2025 को उप पंजीयक कार्यालय में तस्दीक करवा दिया था और मौका पर कब्जा कास्त दे दिया गया था । देवाराम के वारिसान के द्वारा अपना समस्त रकबा दो बैयनांमों के द्वारा अप्रार्थीया न0 2 को दिया जा चुका है और जिसमें से अप्रार्थीया न0 2 के द्वारा दिनांक 17-06-2016 को उक्त रकबा का बैयनांमा केसराराम पुत्र भूपराम जाति नायक साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया को बैय कर दिया है । जबकि अप्रार्थी न0 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज था के द्वारा नशा पता करना व नशे की पुर्ति के लिए रकबा का बेचान कर देने की बात पूर्णरूप से असत्य दर्ज करवाई गई है । अप्रार्थी न0 1 के द्वारा अन्य जगह भुमि खरीदने व अपना इलाज करवाने एवं अपनी पुत्री की शादी व पत्नी का इलाज करवाने के लिए रूपयों की अत्यधिक आवश्यकता होने से अप्रार्थीया न0 2 को पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर बैयनांमा दिनांक 09-07-2015 को अप्रार्थी न0 1 लिछमणराम व रोशनी पुत्री देवाराम ने बैयनांमा करवा कर कब्जा कास्त सुपुर्द कर दिया । प्रार्थी कभी भी खेती नही करता है । प्रार्थी ने परचुन की दुकान व चाय का होटल बना रखा है । यह दुकान व होटल अपने पिता द्वारा बेची गई भूमि से प्राप्त रकम से अपना हिस्सा लेकर अपना व्यावार एव जीवन यापन कर रहा है । अब मात्र अप्रार्थीया न0 2 को परेशान करने की नियत से झुठा वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया है । तथा बैयनांमा में अगर किसी प्रकार से प्रार्थी के हको की अवहेलना हुई है तो बैयनांमा वोईडेबल है । शुरू से शुन्य वोईड नही है । इसलिए वोईडेबल होने की डिक्री सिविल न्यायालय को जारी कर सकता है । प्रार्थी के द्वारा धारा 188 का अनुतोष चाहा गया है । जो बिना कब्जा दिया जाना उचित नही है । इसलिए रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जाता । इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया। चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ के प0न0 73/31 मु0 न0 10 के किला न0 1 ता 20, 21/2 ता 25/2 में 6.199 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । उक्त जैरवाद रकबा देवाराम पुत्र पूर्णराम से उनके वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुआ है। इन तथ्यों को अप्रार्थी न0 2 ने भी स्वीकार किया है । उक्त जैरवाद रकबा पैतृिक सम्पति होने के कारण उतराधिकार अधिनियम के तहत पिता का पुत्र की सम्पति में हक व हिस्सा निहित होता है । और दौराने वाद उक्त जैरवाद रकबा का किसी प्रकार से हस्तांन्तरण होगा तो दावा बैसुद हो जावेगा तथा उक्त जैरवाद रकबा का वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को हस्तान्तरण एव रहन बैय न करने हेतू पाबन्द किया जाता उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रकरण में दिनांक 25-05-2016 को जारी स्थगन आदेश को संशोधित कर अप्रार्थी न0 2 व 6 को पाबन्द किया जाता है कि जैरवाद रकबा चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ के पं0 न0 73/31 मु0 न0 10 किला न0 1 ता 20/5.060 है0, 21/2 ता 25/2 में 1.139 है0 कुल तादादी 6.199 है0 अ0क0 खातेदारी में 1/5 हक/हिस्सा [illegible] निर्णय तक रहन बैय नही करे व मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को खुले [illegible] न्यायालय में सुनाया गया ।

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:38 IST
Reason: SelfAttested